भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1612

जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है

सड़क सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

1612. श्री अनूप संजय धोत्रेः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या सहित देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान सड़क सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का व्यवस्थित आकलन किया है और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई नीति तैयार की है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को मुफ्त / नकदी रहित उपचार प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2018 से 2022 तक देश में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या और सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु विवरण नीचे दी गई तालिका में दी गई है: -

वर्ष	दुर्घटनाएं	मृत्यु
2018	4,70,403	1,57,593
2019	4,56,959	1,58,984
2020*	3,72,181	1,38,383
2021*	4,12,432	1,53,972
2022	4,61,312	1,68,491

* - कोविड प्रभावित वर्ष

कैलेंडर वर्ष 2020 से 2022 तक देश में हुई कुल सड़क दुर्घटनाओं, सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौतों की संख्या का राज्य-वार विवरण क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में संलग्न है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएं कई कारणों से होती हैं जिसमें तेज गति से वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग, नशे में वाहन चलाना/शराब और नशीली दवाओं का

सेवन, गलत साइड में वाहन चलाना /लेन में अनुशासन न रखना, लाल बत्ती का उल्लंघन, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना, वाहनों की स्थिति, मौसम की स्थिति, सड़क की स्थिति आदि शामिल है।

सरकार ने देश में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति, 2010 को मंजूरी प्रदान की है।

सरकार ने शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति तैयार की है। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं, जिनका विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी आदेश के अनुरूप यह कदम उठाया है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ मिलकर चंडीगढ़ में 14.03.2024 को तथा असम में 30.05.2024 को सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नकद रहित उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम लागू किया है। इस पायलट कार्यक्रम को संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी तथा हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों तक विस्तारित किया गया है।

अनुबंध - I

"सड़क सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली" के संबंध में श्री अनूप संजय धोत्रे द्वारा दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1612 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

कैलेंडर वर्ष 2020-2022 के लिए सड़क दुर्घटनाओं का राज्य-वार विवरण				
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020**	**2021**	**2022**
1	**आंध्र प्रदेश**	19,509	21,556	21,249
2	**अरुणाचल प्रदेश**	134	283	227
3	**असम**	6,595	7,411	7,023
4	**बिहार**	8,639	9,553	10,801
5	**छत्तीसगढ**	11,656	12,375	13,279
6	**गोवा**	2,375	2,849	3,011
7	**गुजरात**	13,398	15,186	15,751
8	**हरियाणा**	9,431	9,933	10,429
9	**हिमाचल प्रदेश**	2,239	2,404	2,597
10	**झारखंड**	4,405	4,728	5,175
11	**कर्नाटक**	34,178	34,647	39,762
12	**केरल**	27,877	33,296	43,910
13	**मध्य प्रदेश**	45,266	48,877	54,432
14	**महाराष्ट्र**	24,971	29,477	33,383
15	**मणिपुर**	432	366	508
16	**मेघालय**	214	245	246
17	**मिजोरम**	53	69	133
18	**नागालैंड**	500	746	489
19	**ओडिशा**	9,817	10,983	11,663
20	**पंजाब**	5,203	5,871	6,138
21	**राजस्थान**	19,114	20,951	23,614
22	**सिक्किम**	138	155	211
23	**तमिलनाडु**	49,844	55,682	64,105
24	**तेलंगाना**	19,172	21,315	21,619
25	**त्रिपुरा**	466	479	575
26	**उत्तराखंड**	1,041	1,405	1,674
27	**उत्तर प्रदेश**	34,243	37,729	41,746
28	**पश्चिम बंगाल**	10,863	11,937	13,686
29	**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**	141	115	141
30	**चंडीगढ़**	159	208	237
31	**दादरा एवं नगर हवेली ***	100	140	196
32	**दिल्ली**	4,178	4,720	5,652

33	**जम्मू और कश्मीर $**	4,860	5,452	6,092
34	**लद्दाख**		236	374
35	**लक्षद्वीप**	1	4	3
36	**पुदुचेरी**	969	1,049	1,181
कुल (संपूर्ण भारत)		**3,72,181**	**4,12,432**	**4,61,312**

टिप्पणी:

** इसमें वर्ष 2020 से 2022 तक के लिए दमन और दीव का आंकड़ा शामिल है।*

$ इसमें वर्ष 2020 के लिए लद्दाख का आंकड़ा शामिल है।

अनुबंध - II

"सड़क सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली" के संबंध में श्री अनूप संजय धोत्रे द्वारा दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1612 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

कैलेंडर वर्ष 2020-2022 के लिए सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुई मौतों का राज्य-वार विवरण				
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020**	**2021**	**2022**
1	**आंध्र प्रदेश**	7,039	8,186	8,293
2	**अरुणाचल प्रदेश**	73	157	148
3	**असम**	2,629	3,036	2,994
4	**बिहार**	6,699	7,660	8,898
5	**छत्तीसगढ**	4,606	5,371	5,834
6	**गोवा**	223	226	271
7	**गुजरात**	6,170	7,452	7,618
8	**हरियाणा**	4,507	4,706	4,915
9	**हिमाचल प्रदेश**	893	1,052	1,032
10	**झारखंड**	3,044	3,513	3,898
11	**कर्नाटक**	9,760	10,038	11,702
12	**केरल**	2,979	3,429	4,317
13	**मध्य प्रदेश**	11,141	12,057	13,427
14	**महाराष्ट्र**	11,569	13,528	15,224
15	**मणिपुर**	127	110	127
16	**मेघालय**	144	187	162
17	**मिजोरम**	42	56	113
18	**नागालैंड**	53	55	73
19	**ओडिशा**	4,738	5,081	5,467
20	**पंजाब**	3,898	4,589	4,756
21	**राजस्थान**	9,250	10,043	11,104
22	**सिक्किम**	47	56	92
23	**तमिलनाडु**	14,527	15,384	17,884
24	**तेलंगाना**	6,882	7,557	7,559
25	**त्रिपुरा**	192	194	241
26	**उत्तराखंड**	674	820	1,042
27	**उत्तर प्रदेश**	19,149	21,227	22,595
28	**पश्चिम बंगाल**	5,128	5,800	6,002
29	**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**	14	20	19
30	**चंडीगढ़**	53	96	83
31	**दादरा एवं नगर हवेली ***	64	76	90
32	**दिल्ली**	1,196	1,239	1,461
33	**जम्मू और कश्मीर $**	728	774	805

34	**लद्दाख**		56	62
35	**लक्षद्वीप**	0	1	2
36	**पुदुचेरी**	145	140	181
कुल (संपूर्ण भारत)		**1,38,383**	**1,53,972**	**1,68,491**

टिप्पणी:

** इसमें वर्ष 2020 से 2022 तक के लिए दमन और दीव का आंकड़ा शामिल है।*

$ इसमें वर्ष 2020 के लिए लद्दाख का आंकड़ा शामिल है ।

अनुबंध-III

"सड़क सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली" के संबंध में श्री अनूप संजय धोत्रे द्वारा दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1612 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

सड़क सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण:-

(1) शिक्षा:

i. मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सड़क सुरक्षा प्रचार योजना लागू की है।

ii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/ सप्ताह मनाना।

iii. मंत्रालय ने देश भर में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना के लिए एक योजना लागू की है।

(2) इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों)

2.1 सड़क इंजीनियरिंग

i. सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) का सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए) तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों/विशेषज्ञों के माध्यम से सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव आदि में करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

ii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स/दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

iii. मंत्रालय के अधीन सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) को आरएसए और सड़क सुरक्षा संबंधी अन्य कार्यों की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है।

iv. मंत्रालय ने पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनका प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना लागू की है।

v. मंत्रालय ने एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेतक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन मिल सके।

vi. सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन न करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 में प्रावधान किए गए हैं।

2.2 वाहन इंजीनियरिंग:

मंत्रालय ने वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. मंत्रालय ने वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एक एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान किया है।

ii. मंत्रालय ने सवारी करने या मोटर साइकिल पर ले जाने वाले चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं। इसमें एक सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित किया गया है।

iii. निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को लगाने के लिए अनिवार्य प्रावधान: -

एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:

- ड्राइवर और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)
- सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड
- अति रफ्तार चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

- रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल है] एम [यात्रियों को परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)।

v. मंत्रालय ने दो पहिया, तीन पहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल वाहन, एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति नियंत्रण फंक्शन / गति नियंत्रण डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है।

vi. स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए, जो स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। इन नियमों में 31.10.2022 और 14.03.2024 को और संशोधन किया गया है।

vii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन के आधार पर वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की और पुराने, अनुपयुक्त तथा प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया।

viii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की योजना।

ix. यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा शुरू करने और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम (बीएनसीएपी) के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

x. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और बस बॉडी बिल्डरों द्वारा बसों के निर्माण के क्षेत्र में निर्धारित समान अवसर के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

xi. 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद निर्मित अनिवार्य वाहनों को एन2 (3.5 टन से अधिक लेकिन 12.0 टन से कम वाले सकल वाहन भार वाले माल वाहन) और एन3 (12.0 टन से अधिक

सकल वाहन भार वाले माल वाहन) श्रेणी के वाहनों के केबिन को एयर कंडीशनिंग प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा।

xii. 01 अप्रैल, 2025 से श्रेणी एम, एन और एल7 के मोटर वाहनों में सुरक्षा बेल्ट असेंबली, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट और संयम प्रणालियों की स्थापना के लिए संशोधित मानकों की प्रयोज्यता के प्रावधान प्रदान करने के लिए सुरक्षा बेल्ट, संयम प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर के मानकों के संशोधन के लिए नियम प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहन एआईएस-145-2018 के अनुसार सभी आगे की ओर वाली पिछली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर की आवश्यकता को पूरा करेंगे।

(3) प्रवर्तन

i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 में सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान है।

ii. मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम जारी किए हैं। इन नियमों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत शामिल शहरों महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च सघनता वाले गलियारों में इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाने के विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं।

iii. मंत्रालय ने 10 जून, 2024 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय करने का परामर्श जारी किया है।

(4) आपातकालीन देखभाल:

i. मंत्रालय ने ऐसे नेक नागरिक (गुड समारिटन) की सुरक्षा की बात कही है जो सद्भावनापूर्वक, स्वेच्छा से तथा किसी पुरस्कार या मुआवजे की अपेक्षा के बिना दुर्घटना स्थल पर पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करते हैं या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाते हैं।

ii. मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के मुआवजे को बढ़ा दिया है (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये)।

iii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर के टोल प्लाजाओं पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस तैनात करने का प्रावधान किया है।

iv. मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ मिलकर चंडीगढ़, हरियाणा,पंजाब,उत्तराखंड,पुडुचेरी और असम में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नगदीरहित उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम लागू किया है।

*****